र्कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। पत्रांक- 3531 / 11—सी— FP/UP/Road/157011/2022 लखनऊ, दिनांकः मई ३० ,2025 सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:—जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to kotdwar pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0-000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, नजीबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात कुल 5.27 हे0 संरक्षित एवं आरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमित के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0— FP/UP/Road/157011/2022

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक—8बी0 / यू0पी0 / 06 / 07 / 2025 / एफ0सी0 / 183, दिनांक—20.02.2025 महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपित्तों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक—3105/14—1, दि० 30.05.2025 द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण इस अनुरोध के प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

> (लितित कुमार वर्मा) अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक / नोडल अधिकारी, अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक / नोडल अधिकारी,

संख्या- 3531/11-सी FP/UP/Road/157011/2022 दिनांकित।

प्रतिलिपि:– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (लितत कुमार वर्मा) अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक / नोडल अधिकारी, उठप्र0, लखनऊ।

संख्या— 353| / 11—सी FP/UP/Road/157011/2022 दिनांकित। प्रतिलिपि:— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

2- प्रभागीय वनाधिकारी / निदेशक, बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग।

3— परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०, नजीबाबाद जिला बिजनौर।

> (लित कुमार वर्मा) अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद। पत्रांक ८०८ / १४–१ दिनांक, मुरादाबाद, ८०/ ०५/ २०२५

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to kotdwar pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 है0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं सा0वा0 प्रभाग, बिजनौर के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात कुल 5.27है0 संरक्षित एवं आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमित के सम्बन्ध में। (File No.-FP/UP/Road/157011/2022)

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ की पत्र संख्या—8B/UP/06/07/2025/FC/183 date. 20-02-2025 एवं आपकी पत्र संख्या—2398/11—सी, दिनांक 21.02.2025

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त संदर्भित पत्रों के कृम में प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद ने अपनी पत्र संख्या—3735/4—1, दिनांक 28—05—2025 द्वारा विषयगत वांछित सूचना/अभिलेख ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित किया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीवाबाद द्वारा ऑनलाईन उपलब्ध कराये गये विषयगत वांछित सूचना/अभिलेख सहमति सहित ऑनलाईन इस आशय से प्रेषित है कि कृपया विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

(रमेश चस्ट्री

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, भूरादावाद क्षेत्र, मुरोदावाद।

पत्रांक- 3105 / 14-1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित— 1—मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड जोन, उ०प्र०, बरेली।

2-प्रभागीय निदेशक / वनाधिकारी, नजीबाबाद एवं बिजनौर।

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, भूरादाबाद क्षेत्र, मुरोसवाद

0/2

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद पत्रॉक 3735 /4-1िदनॉक,नजीबाबाद 28 मई,2025

लेवा में

तिषय:-

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक

मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4 Pekage-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61हे० आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं साठमाठ प्रभाग बिजनौर के अन्तर्गत प्रभावित 0.66हें० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात कुल 5.27 हें हों संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UP/ROAD/ 157011/2022)

सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी/यू०पी०/06/07/2025/एफ.सी./183 दिनांक 20.02. 2025 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की पत्र संख्या 2398 / 11 – सी दिनॉक 21.02.2025 एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत

सरकार परियोजना कियान्वयन इकाई-नजीबाबाद का पत्र सं० 17626 दिनॉक 27.03.2025।

महोदय.

संदर्भ:-

सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पठका०ई०— नजीबाबाद के पत्र संख्या 17626 दिनॉक 27.03.2025 के द्वारा उपलब्ध करायी गई ई०डी०एस० की अनुपालन आख्या एवं अभिलेखों के आधार पर प्रकरण में अनुपालन आख्या एवं अभिलेखों को ऑनलाइन पार्ट-1 में यथा स्थान पर अपलोड कर निम्नवत प्रेषित है:--

| अपलोड़ | पिलोड़ कर निम्नवत् प्रेषित हैं:- Compliances | | |
|--------|--|--|--|
| S.N. | EDS/Observations | It is to submit that, 5.27 ha. CA land was proposed by | |
| 1. | As per the proposal, CA has been proposed in Non-Forest land but according to DSS the proposed CA falls under the Forest boundary. This needs clarification/rectification. | NHAI in khasra No. 1215gh village- Sabalgarh, Tehsil-Najibabad, Distt. Bijnor. The said land was in the ownership of revenue department and as per revenue records (Annex-1) the said land is 6-4 category and is muted as ds1 The joint verification was conducted with the officials of Revenue Department, Forest Department, Forest Settlement Office and NHAI on dated 28.02.2024 and demarcation of land was done in reference of Forest and Revenue land records. Copy of report of the joint verification/demarcation is enclosed (Annex-2). Further, it is to mention land suitability certificate (Annex-3) for the said land for CA was issued by DFO, Bijnor Forest Division, Najibabad after the verification of land in all aspects like section 20 & 48 and Forest/Revenue maps. After that, District Majistrate, Bijnor vide order dated 17.07.2024 (Annex-4) has muted the said land in the name of Forest Department, UP, Lucknow. Copy of latest Khatauni is enclosed (Annex-5). It is also to mention here that a joint verification/demarcation by the officials of Revenue Department, Forest Department and NHAI has also been re-conducted after the receipt of subject EDS from IRO, Lucknow on dated 10.03.2025 regarding to verify the said land parcel is in the ownership of Forest Department or not. The copy of report is enclosed (Annex-6) in which it is clearly mentioned that the earlier joint verification was right and subject land parcel was in the ownership of Revenue Department and out of the Forest | |

| - | | | |
|----|-----|--|--|
| L | | 6 | boundary. |
| | _ | Geo-referenced cadastral map overlaying | Geo-referenced cadastral map overlaying with the proposed |
| | 2. | with the proposed CA land polygon and | CA land polygon and forest boundary is enclosed as |
| | | forest boundary needs to be submitted. | (Annex-7) |
| | | Cross section plan of the project is not | Legible copy of Plan and TCS have been uploaded on |
| | 3. | legible. This needs to be re-unloaded on | PARIVESH Portal and enclosed as (Annex-8). |
| L | | PARIVESH portal with high DPI. | |
| | | Since the forest land proposed for diversion | Wildlife mitigation plan is enclosed as (Annex-9). |
| | , | under forest division Najibabad is part of | Comments received from chief wildlife warden and letter no |
| | 4. | notified Elephant Reserve. Thus, the | 3232/26-11 of principal chief conservator of forest dated |
| | ,, | comments from the Chief Wildlife Warden | 27.05.2025 are attached herewith. |
| | | along with Wildlife mitigation plan needs to | |
| | | be submitted. | |
| | | 5. NOC from the concerned dept. (like | NOC obtained from Railway Department is enclosed as |
| | 5. | Irrigation, PWD, Railway etc.) needs to be | (Annex-10). |
| | | submitted. | 11) |
| | 6. | Approval details of existing highway under | Copy of Notification is Enclosed as (Annex-11). |
| L | | VSESA, 1980 needs to be submitted. | 1: (Cesson |
| | 7. | It is not clear from the proposal that what is | The Proposed 4-Laning project is new alignment (Green |
| | | the status of widening before & what is after | Field) which a Bypass of Kotdwar Town. Proposed bypass |
| | • • | proposed alignment. | starts from Najibabad Kotdwar- Pauri and Terminates at |
| - | | | Kotdwar-Pauri Road. |
| | | Detailed muck calculation & muck disposal | Total length of the proposed project is 5.95 Km out of |
| 8. | | scheme as approved by concerned DFO | which Approx. 3.5 Km section is elevated. There is no |
| | 8. | needs to be submitted. | cutting of -earth required, therefore, No muck will be |
| | | | generated. Muck Management Plan and Undertaking in this |
| | | O. D. C. C. C. DOW. | regards already submitted. (Annex-12). The proposed bypass project is new (green field) alignment |
| 9. | | 9. Details of existing ROW proposed ROW | therefore, existing ROW is Nil and proposed ROW is 30 |
| | 0 | and land width (ROW) availability for road | m.Plantation under the elevation portion of the proposed |
| | 9. | side plantation needs to be submitted and | highway (as per space available within the PROW) will be |
| | | accordingly plantation scheme for roadside | carried out as per IRC Guidelines along National Highways. |
| L | | plantation needs to be submitted. | |

अतः अनुपालन आख्या संस्तुति सहित में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। भवदीय,

ARaj

(अभिनव राज) प्रभागीय वनाधिकारी विजनौर वन प्रभाग,नजीवा्नुहाद

संख्या 3735 /4-1उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1:- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

2:- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,प०का०ई०-नजीबाबाद।

ARaj

(अभिनव राज) प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीकृत्रस् .